

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

S.D.O

मुकाम

कोटवाडी

किस्म मुकद्दमा

मुन्नी लाल

बनाम

मंगल लाल

53 R.T.A. ल

नं.

1057-18 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18-6-18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 के तहत कैम्प कोर्ट खैरसाहिबा पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि मुन्नीलाल/मोहनलाल, मंगललाल/मोहनलाल, शिबलाल/मोहनलाल 912/कापसी राजीवम 912/परवाडा परचरिम मय</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा खैरसाहिबा 1-मुन्नीलाल/मोहनलाल 352 0-37 4-81 2-मंगललाल/मोहनलाल 352/1 0-37 4-81 3-शिबलाल/मोहनलाल मंगल 352/2 0-37 4-74</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
प्रदेन सहायक क्लेक्टर
बडीसादडी (राज.)

